न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अनंत भण्डारी,

दांडिक विविध प्रार्थना-पत्र संख्या 291/2026

मिल्खा सिंह पुत्र श्री करनेल सिंह, उम्र करीबन 28 साल, निवासी बागवाली ढाणी, रायसिख बास, तन मुबारिक, पुलिस थाना नौगांवा, जिला अलवर (राज.)

---**प्रार्थी/अभियुक्त**

विरूद्ध

राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, अलवर

--विपक्षी

जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 410/2025, पुलिस थाना नौगांवा, अलवर, अपराध अन्तर्गत धारा 103(1) सपठित धारा 49 भारतीय न्याय संहिता व धारा 8(2)/25(1-B)(C) आर्म्स एक्ट

उपस्थितः-

1- श्री विनोद शर्मा विद्वान अधिवक्ता - प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2- श्री महेश चन्द शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक - राज्य की ओर से।
3- श्री अशोक कुमार शर्मा, विद्वान अधिवक्ता- परिवादी पक्ष की ओर से।

आ दे श

दिनांकः 18.03.2026

1- प्रार्थी/अभियुक्त मिल्खा सिंह की ओर से यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 410/2025, पुलिस थाना नौगांवा, अलवर में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

2- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि फरियादी कुलदीप सिंह ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना नौगांवा, अलवर पर इस आशय की दर्ज करवाई कि दिनांक 27.11.2025 को उसके ताउ के लडके बुटा सिंह को बलविन्दर ने घर पर आकर धमकी दी कि वह उनकी जमीन पर कब्जा करके रहेगा, जिस पर बुटा सिंह ने कहा कि जमीन उनके बुजुर्गों की है,तो इस पर नाराज होकर हथियार लाकर हवाई फायर किया तथा मिलखा सिंह, बलविंदर उनके घर के आसपास हथियार लेकर घूमते रहे। दिनांक 28.11.2025 को जब जंगीर, उसके पिता चरण सिंह को मिले तो उसने परिवार को खत्म करने की धमकी दी व अपने साथ बलविंदर, बैयन्त सिंह, सुरजीत, रिंकू, राजेन्द्र, गुरविन्दर, गुरप्रीत, सुखदेव, रविन्द्र, मिल्खा, रविन्द्र व अन्य 8-10 लोग और आये, जिनके हाथों में लाठी, डण्डा, कट्टा व बंदूक थे, जिन्होंने फायर करना शुरू कर दिया व उसके पिताजी के साथ मारपीट की, जिससे हाथ में फ्रैक्चर हो गया तथा माता दीपो बाई बचाने गई, तो बैयन्त ने

उसे गोली मार दी, जो मौके पर ही मृत हो गई। परिवार से जो भी आया, सभी को बुरी तरह से घायल कर दिया.....इत्यादि

3- उक्त रिपोर्ट के आधार पर एफ.आई.आर. संख्या 410/2025, पुलिस थाना नौगांवा, अलवर पर अपराध अन्तर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 126(2), 351(2), 333, 103(1) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/25 व 5/27 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर तफ्तीश की गई। दौराने तफ्तीश प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 02.12.2025 को गिरफ्तार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रकरण में बाद अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सह-अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने पर यह प्रकरण इस न्यायालय को कमिट किया गया। जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

4- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 103(1) सपठित धारा 49 भारतीय न्याय संहिता व धारा 8(2)/25(1-B)(C) आर्म्स एक्ट के अपराध का मामला बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई हत्या का अपराध कारित नहीं किया है, न ही हत्या के लिए किसी को दुष्प्रेरित किया है। घटना के समय प्रार्थी/अभियुक्त मौके पर मौजूद नहीं था। फायर आर्म के प्रयोग किये जाने का आरोप गवाहों के कथनों के अनुसार सह-अभियुक्त बैयन्त सिंह पर है। प्रार्थी/अभियुक्त काफी समय से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

5- विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी द्वारा उक्त तर्कों का सख्त विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा ही सह-अभियुक्त बैअन्त सिंह को फायर आर्म उपलब्ध कराया गया है। घटना कारित करने के लिए घटना दिवस से एक दिन पहले ही प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह-अभियुक्त बैअन्त सिंह को बंदूक लाकर दी गई, जिसके संबंध में प्रथमदृष्टया साक्ष्य पत्रावली पर है। गवाहों ने फायर आर्म प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा लाकर देना बताया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के अपराध के आरोप है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

6- बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं होना प्रकट होता है। मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 103(1) सपठित धारा 49 भारतीय न्याय संहिता व धारा 8(2)/25(1-B)(C) आर्म्स एक्ट के आरोप है। हम पाते हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त मिल्खा सिंह द्वारा प्रकरण के मुख्य अभियुक्त बैअन्त सिंह को फायर आर्म लाकर दिये जाने के संबंध में पत्रावली पर प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद

है। गवाह चरण सिंह द्वारा अपने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयानों में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा दिनांक 27.11.2025 को, घटना से एक दिन पूर्व ही हथियार लाकर देने का कथन किया है। इसी प्रकार के कथन गवाह कुलदीप सिंह ने भी अपने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयानों में किया है। प्रकरण में सह-अभियुक्त बैअन्त सिंह पर फायर आर्म से हत्या कारित करने का आरोप है एवं वह फायर आर्म प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा बैअन्त सिंह को लाकर देना, जिससे सह-अभियुक्त बैअन्त सिंह द्वारा हत्या कारित करने का प्रथमदृष्टया आरोप लगाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध सह-अभियुक्त बैअन्त सिंह को मृतका दीपो बाई की हत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के अपराध के आरोप है। इस स्टेज पर गुणावगुण पर टिप्पणी किया जाना हितकर नहीं है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता को देखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

-आदेश-

7- लिहाजा, प्रार्थी/अभियुक्त मिल्खा सिंह पुत्र श्री करनेल सिंह की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर, खारिज किया जाता है।

(अनंत भण्डारी)

8- आदेश आज दिनांक 18.03.2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(अनंत भण्डारी)